77

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 2179–दो/2005 – विरूद्ध आदेश दिनांक 31–1–1997 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण कमांक 78 अ–20/1994–95 अभ्यावेदन

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर
जिला दमोह, मध्य प्रदेश ---अपीलांट

विरूद्ध

रमेश कुमार पुत्र एच0डी0नाथानी
साकिन पक्का सिंधी केंप, दमोह ---रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट की ओर से पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)
(रिस्पाण्डेन्ट की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 6-7- 2016 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 78 अ–20/1994–95 अभ्यावेदन में पारित आदेश दिनांक 31–1–1997 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रिस्पाण्डेन्ट ने कलेक्टर दमोह को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नगर दमोह स्थित प्लाट कमांक 287 शीट नंबर 54 का स्थायी पटटा प्रदान करने प्रार्थना की। कलेक्टर दमोह ने प्रकरण कमांक 231 अ–20 (1) 1993–94

पंजीबद्ध किया तथा रिस्पाण्डेन्ट के आवेदन की जॉच कराकर आदेश दिनांक 30-6-1994 पारित किया तथा रिस्पाण्डेन्ट का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 78 अ-20/1994-95 अभ्यावेदन में पारित आदेश दिनांक 31-1-1997 से अभ्यावेदन स्वीकार कर कलेक्टर दमोह का आदेश दिनांक 30-6-94 निरस्त किया गया एंव प्रकरण रिस्पा0 को स्थाई पटटा स्वीकृत करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपील मेमो के अवलोकन से स्थिति यह है कि कलेक्टर दमोह व्दारा मूल प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-1 के अंतर्गत विचार कर आदेश दिनांक 30-6-1994 पारित किया है, जिसके विरूद्ध रिस्पाण्डेन्ट ने राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-1 की कंडिका 18 के अतर्गत अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जबकि अपीलांट के अभिभाषक ने अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के आदेश दिनांक 31-1-1997 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की है।

"राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-1 की कंडिका 18 में पारित आदेशों के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान इस प्रकार हैं :-

क.	किस अधिकारी के आदेश के विरूद्ध किस अधिकारी को अभ्यावेदन	किस अवधि में
1-	अनुविभागीय अधिकारी अथवा नजूल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर को अभ्यावेदन	90 दिवस
2-	जिलाध्यक्ष के आदेश के विरूद्ध आयुक्त को अभ्यावेदन	90 दिवस
3-	आयुक्त के आदेश के विरूद्ध शासन को अभ्यावेदन	90 दिवस

परन्तु कोई भी अभ्यावेदन या आवेदन उस आदेश के जिनके सम्बन्ध में आपत्ति की जाये, आदेश दिनांक से 90 दिवस व्यतीत होने के पश्चात् कलेक्टर, आयुक्त या राज्य शासन को नहीं प्रस्तुत किया जायेगा। ''

अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के आदेश दिनांक 31-1-1997 के विरूद्ध यह अपील राजस्व मण्डल में 26-12-2005 को प्रस्तुत है, जो अप्रचलशील होने से गुणदोष पर विचार किये बिना निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर